तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० हो वकील श्री राजेन्द्र नागर ने अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से प्रा०पत्र वास्ते सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत् पेश की। नकल दिलायी। प्रा०पत्र पर सीधी बहस हेतु वकील प्रार्थी ने निवेदन किया। सीधी बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि पत्रावली में माननीय न्यायालय RAA Kota से दिनांक 10.6.2022 के निर्णय के साथ इस न्यायालय में पक्षकारान को उपस्थित होने हेतु दिनांक 18.7.2022 को पांबद किया गया था। तब से लेकर आदिनांक तक अप्रार्थी की ओर से किसी ने उपस्थिति नही दी है। वर्तमान में पत्रावली अन्तिम आदेश की स्टेज पर जेरकार है। अतः लगभग 18 महीने तक अवसर होने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई उपस्थिति नही देने और अन्तिम निर्णय के समय यह प्रा०पत्र प्रस्तुत करने से यह प्रा०पत्र खारिज होने योग्य है। हमने प्रार्थना पत्र पर बहस में वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त समय होने के बावजूद न्यायालय मे कोई जवाब पेश नही करने से [illegible] की स्टेज पर यह प्रा०पत्र [illegible] योग्य नही है। न्यायालय [illegible] RAA Kota के निर्णय की [illegible] में अप्रार्थी 18.7.2022 से अब तक अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी का प्रा०पत्र वास्ते सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का अवसर देने बाबत खारिज किया जाता है। रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रा० पत्र मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 15:13:15 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–155 / 2022 दायर दिनांकः 05.07.2022

GCMS NO:- 2022/274

पीठासीन अधिकारी :– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हेमकंवर वैवा जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. अनिता कंवर पुत्री जोधराज सिंह जाति राजपूत हाल पत्नि नन्दसिंह निवासी धोवडा जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. पप्पू पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. गोपी पुत्र जीवन जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बून्दी चित्तौड क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 22.02.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 223 / 10–10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 223 में आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 221 व 222 के मध्य होकर निकल रहा था। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 221 व 222 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 222 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या 221 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–04 बीघा है। यह कि सं[illegible] ट्रेस में बताये गये बिन्दू A से B तक वर्तमान में पीडब्ल्यूडी की पक्की सड़क बनी हुई [illegible] जो [illegible]निक प्रयोजनार्थ / आवागमन हेतु काम में ली जा रही है एवं मौके पर [illegible] से संचालि[illegible]

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र [illegible] एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन [illegible] केम्प कोर्ट पीपल्या में पेश हुई । एवं निर्णय दिनांक 10.11.2021 पारित किया गया। न्यायालय निर्णय की अपील अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 10.06.2022 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त किया जाकर नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में 251 क आर0टी0 एक्ट के नियम 69 की पालना करते हुए पुनः मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

तैयार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के दिशानिर्देश के साथ पत्रावली फरीकान को इस न्यायालय में 18.07.2022 को उपस्थित होने के आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के आदेश की अनुपालना में पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 18.07.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार नैनवां से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 के अनुसार प्रार्थीगण के पास वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से खसरा संख्या 215 सिवायचक में से 9x3 =27 वर्ग गट्ठा , खसरा संख्या 219 सिवायचक मे से 9x3 =27 वर्ग गट्ठा, खसरा संख्या 221 खातेदारी मे से 44x3 =132 वर्ग गट्ठा तथा खसरा संख्या 222 खातेदारी मे से 44x3 =132 वर्ग गट्ठा कुल क्षेत्रफल 318 वर्ग गट्ठा या 13960 वर्गफिट या 0.1298 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर ने दिनांक 22.02.2024 को प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु पेश किया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्देशों की अनुपालना में अप्रार्थी कई अवसर होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वास्ते रास्ता दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवा में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 223/10–10 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 215 सिवायचक में से 9x3 =27 वर्ग गट्ठा, खसरा संख्या 219 सिवायचक मे से 9x3 =27 वर्ग गट्ठा, खसरा संख्या 221 खातेदारी मे से 44x3 =132 वर्ग गट्ठा तथा खसरा संख्या 222 खातेदारी मे से 44x3 =132 वर्ग गट्ठा कुल क्षेत्रफल 318 वर्ग गट्ठा या 13960 वर्गफिट या 0.1298 हेक्टेयर भूमि, नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "ख" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'ख' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 15:13:15 IST
Reason: SelfAttested

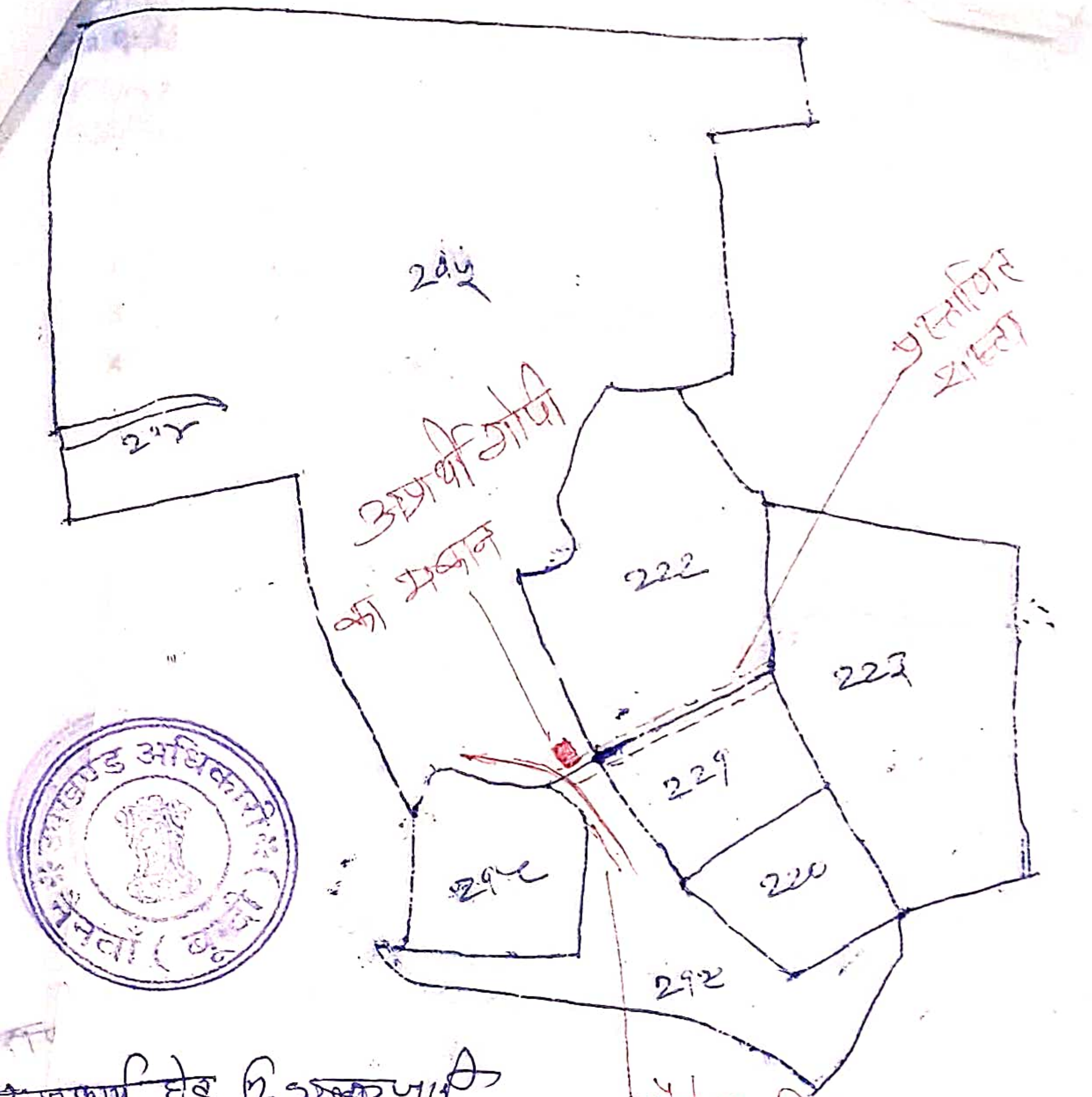

राजकार्य हेतु

मौके पर निकल रही ट्रेक्टर सड़क सुरक्षित

पटवारी
पटवार मण्डल
नैनवां जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 15:13:15 IST
Reason: SelfAttested